प्रकरण नेशनल लोक अदालत दिनांक 09.09.17 में पेश। राज्य द्वारा एडीपीओ। अभियुक्त सहित अधिवक्ता श्री एम०एस० यादव। फरियादी भानसिंह सहित अधिवक्ता श्री एन०एस० तोमर उपस्थित। प्रकरण राजीनामा हेतु नियत है।

फरियादी एवं आहत की ओर से राजीनामा हेतु अनुमति आवेदन पत्र मय लोक अदालत डॉकेट हस्ताक्षर कर एवं छायाचित्र चस्पाकर प्रस्तुत किया गया। फरियादी की पहचान श्री तोमर एवं अभियुक्त की पहचान अधिवक्ता श्री एम०एस० यादव ने की।

उभयपक्षों को सुना। प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी एवं आहत ने अभियुक्तगण से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ-लालच के पारस्परिक संबधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है।

अभियुक्त पर भादवि० की धारा 504, 325 के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। उक्त धारा का आरोप न्यायालय की अनुमति से फरियादी द्वारा शमनीय है। पीठे सदस्यगण द्वारा प्रकरण में राजीनामा स्वीकार किए जाने की अनुशंसा की गयी। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उददेश्य को ध्यान मे रखते हुये राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को धारा 504, 325 भा०द०वि० के अपराध आरोप से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्त की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्त के प्रतिभूति व बंधपत्र भारमुक्त किए जाते है।

> प्रकरण जब्तशुदा संपत्ति डण्डा मूल्यहीन होने से नष्ट क्रिया जावे। आदेश की प्रति पक्षकारों को निःशुल्क प्रदाय की जावे। शुर ग्जी में द सदस्य की पीर प्रकरण का परिणाम स्संगत पंजी में दर्जकर अभिलेखागार भेजा जावे।

सदस्य

पीठासीन अधिकारी